संख्या : /जी0एस0(शिक्षा)/ A3-131/2022

प्रेषक,

डा0 रंजीत कुमार सिन्हा,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

05 SEP 2022

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालयः उत्तराखण्ड **देहरादूनः दिनांक** ~~अगस्त,~~ **2022**

महोदय,

कृपया कुलसचिव के पत्र संख्याः 616/मान्यता/के0यू0/2019–20 दिनांक 24.03.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उनके द्वारा राजकीय महाविद्यालय, नानकमत्ता (ऊधमसिंहनगर) को बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, भूगोल, शिक्षाशास्त्र, गृह विज्ञान, चित्रकला, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अतिहास, संस्कृत) पाठ्यक्रम में 80 सीट प्रति विषय एवं बी0–एससी0 (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, गणित) पाठ्यक्रम में प्रति ग्रुप 80 सीटों के साथ शैक्षिक सत्र 2021–22 की नवीन अस्थाई सम्बद्धता प्रस्ताव संस्तुति के साथ इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2– शैक्षिक सत्र 2021–22 हेतु नवीन अस्थाई सम्बद्धता के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्ड़ल, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–37 (2) के अन्तर्गत महाविद्यालय को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति महोदय द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया है :–

क्रमांक	**महाविद्यालय/संस्थान का नाम**	**पाठ्यक्रम का नाम**	**प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)**	**अस्थाई सम्बद्धता की अवधि**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	राजकीय महाविद्यालय, नानकमत्ता (ऊधमसिंहनगर)	1. **बी0ए0** (हिन्दी, अंग्रेजी, भूगोल, शिक्षाशास्त्र, गृह विज्ञान, चित्रकला, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, संस्कृत) 2 **बी0एससी0** (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, गणित)	80 सीट प्रति विषय 80 सीट प्रति ग्रुप	2021–22

(i) निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध करायें।

(ii) विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा विभाग/शासन से समन्वय स्थापित कर महाविद्यालय में फैकल्टी के रिक्त पदों पर नियुक्ति करते हुए U.G.C विनियम 3.4.7 की व्यवस्थानुसार सम्बद्धता प्राप्ति के 03 माह के भीतर फैकल्टी का अनुमोदन विश्वविद्यालय से कराना सुनिश्चित करेगा।

(iii) अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव ससमय निर्धारित समय सारिणी के अनुसार मानक पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे। तदनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डा0 रंजीत कुमार सिन्हा)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 2060 (1)/जी0एस0/शिक्षा/ A3-131/2022 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, नानकमत्ता (ऊधमसिंहनगर)।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(स्वाति एस0 भदौरिया)
कुलाधिपति के अपर सचिव।